छत्तीसगढ़ विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार,दिनांक 08 मार्च, 2022 (फाल्गुन 17, 1943)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 8–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020 – 21 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री अमरजीत भगत, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(10) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ–5–10/आठ–परि./2020, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 पटल पर रखेंगे।

(11) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(12) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(13) श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 20–1/2017/38–2 (पार्ट), दिनांक 18 सितम्बर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर–परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(14) श्री उमेश पटेल, तकनीकी शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(15) श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4–47/सात–1/2019, दिनांक 4 फरवरी, 2020 पटल पर रखेंगे।

(16) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 3

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री अजय चंद्राकर, श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामले में निरंतर वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिले में केलो परियोजना अंतर्गत किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में हिन्दी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बदले जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लंबित रखी जाने की ओर खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. वित्तीय वर्ष 2021—2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :—

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या— 3, 6, 8, 11, 19, 21, 30, 41, 46, 64, 65 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **चार सौ बानबे करोड़, तैंतीस लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ अनठानबे रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

3 घंटे

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक— 1) विधेयक,2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री संतराम नेताम, सदस्य, द्वारा सोमवार, दिनांक 07 मार्च, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :—

''माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।''

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 07 मार्च, 2022